न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 08 / 2022

थानाधिकारी पुलिस थाना खोह जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

जमशेद पुत्र आसी जाति मेव निवासी द्वारकापुर सुकैती थाना सीकरी जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बावत एफ.आई.न. 130 / 2022 में जप्त वाहन संख्या आरजे 05 जीवी 7892 जप्ती के बावत।

उपस्थित :–
1–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,
2–श्री मुकीम खान अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांक 14.9.2022

प्रार्थी थानाधिकारी,पुलिस थाना खोह जिला भरतपुर यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) इस आश्य का पेश किया गया, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.6.2022 को गश्त के दौरान ग्रांम टोडा पहुंचने पर एक पिक अप गाडी तेज गति से डीग की तरफ से आई गाड़ी को रोक कर चैक किया गया। पिकअप गाड़ी का रजि. नम्बर आरजे 05 जीबी 7892 की वाडी में 05 गौंवश जिनमें 3 गाय व 1 बछिया जिन्दा वं 1 बछडा मृत अवस्था में निर्दयता पूर्वक भरे मिले, पूछताछ में पिकअप गाड़ी का रजि. नम्बर आरजे 05 जीबी 7892 का मालिक जमशेद पुत्र आसी जाति मेंव निवासी द्वारकापुर सुकैती थाना सीकरी बताया, तथा उक्त गौवंश को वध हेतु हरियाणा ले जाना बताया उक्त शख्स जमशेद का यह कृत्य धारा 3, 5 व 8 आरबीए एक्ट तारीफ में आने पाये

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

जाने पर उक्त शख्स जमशेद के कब्जे की 05 गौंवश को बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया गाडी पिकअप रजि.न. आरजे 05 जीबी 7892 को बतौर साधन अपराध जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। जमशेद को को जुर्म से आगह कर जुर्म धारा 3,5 व 8 आरबीए एक्ट से अवगत कराते हुये हस्व कायदा वरुये फर्द गिरफतार किया जाकर हिरासत पुलिस में लिया गया। मुलजिम जमशेद से तफतीश की गई घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका कशीद कर शामिली पत्रावली किया गया जप्त शुदा गौवंश को जरखोड गौशाला जमा कराया जाकर रसीद प्राप्त की, मृतक गौवंश का पोस्ट मार्टम कर अंतिम क्रिया कर्म कराया जाकर पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में समस्त तफतीश हासला बयानात गवाहन नक्शा मौका तफतीश मुलजिम व फर्दात एवं पोस्टमार्टम रिर्पोट मृतक गौंवंश व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मुलजिम जमशेद पुत्र आसी निवासी द्वारकापुर सुकैती पलका तहसील नगर द्वारा उक्त वाहन नम्बर आरजे 05 जीबी 7892 से गौंवशों को तसकरी कर गौकसी के लिये राजस्थान से हरियाणा बिना परमीसन के ले जाना पाया गया है।

प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक मुकीम खान उपस्थित आये। अप्रार्थी के अभिभाषक को प्रार्थना पत्र की नकल दी गई तथा आरोपों के सम्बन्ध में अपना जबाब साक्ष्य वगे. प्रस्तुत करने को कहा गया। अभिभाषक अप्रार्थी ने कोई जबाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करने की प्रार्थना की गई। बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से ए.पी.पी. ने प्रार्थी थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि पुलिस थाना खोह को दिनांक 20.6.2022 को गश्त के दौरान ग्रांम टोडा पहुंचने पर एक पिक अप गाडी तेज गति से डीग की तरफ से आई गाड़ी को रोक कर चैक किया गया। पिकअप गाड़ी का रजि. नम्बर आरजे 05 जीबी 7892 की बाडी में 05 गौंवश जिनमें 3 गाय व 1 बछिया जिन्दा वं 1 बछडा मृत अवस्था में निर्दयता पूर्वक भरे मिले, वाहन मालिक जमशेद पुत्र आसी जाति मेंव निवासी द्वारकापुर सुकैती थाना सीकरी बताया, तथा उक्त गौवंश को वध हेतु हरियाणा ले जाना बताया उक्त शख्स जमशेद का यह कृत्य धारा 3, 5 व 8 आरबीए एक्ट तारीफ में आने पाये जाने पर उक्त शख्स जमशेद के कब्जे की 05 गौंवश को बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया है गाडी पिकअप रजि.न. आरजे 05 जीबी 7892 को बतौर साधन अपराध जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। अप्रार्थी जमशेद जप्त गौवंश को राजस्थान से हरियाणा राज्य में बिना परमिशन के लेजाते हुये मय वाहन जप्त किये गये।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

थाना में इनके खिलाफ एफआईआर/130/2022 दर्ज की गई। गौवंश को राजस्थान सीमा से हरियाणा ले जाते हुये/ परिवहन करते हुये लिप्त पाये जाने उक्त वाहन जप्त किया गया है, जप्त वाहन को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया किया कि वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7892 का मालिक है,। उक्त वाहन को पुलिस थाना खौह द्वारा उक्त गौवंश तस्करी में जप्त किया गया है, वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है जिससे वाहन के खराब होने की पूर्ण संभावना है। जप्त वाहनों की पुलिस थाना को अब कोई आवश्यकता नहीं है। जप्त वाहनों को सुपुर्दगी में दिया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं।

1–क्या गौवंश को राजस्थान की सीमा क्षेत्र से बाहर ले जाया जारहा था?
2–क्या जप्त वाहन से गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन किये जाने लिप्त थे?
3–क्या अप्रार्थी0 के पास गोवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर लेजाने का सक्षम अधिकारी का परमिट था?

1 व 2 – राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। थाना अधिकारी खौह जिला भरतपुर (राजस्थान) ने उक्त आरजे 05 जीबी 7892 वाहन को गौवंशीय पशु को राजस्थान की सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन करते हुये दिनांक 20.6.2022 को जप्त किया गया है। मौके पर जप्त वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7892 जिसमें 5 गौवंश जिनें तीन गाय व एक बछिया़ जीवीत व एक बछडा मृत अवस्था में निर्दयता पूर्वक भरे मिले। उक्त गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से परिवहन कर हरियाणा ले जाया रहा था। जप्त वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7892 गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाया गया है। पुलिस थाना खोह द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ गौवंश को राजस्थान सीमा से हरियाणा परिवहन करते हुये गिरफतार किया जाकर इसके विरुद्व धारा 3,5 8 गौवंश अधिनियम के तहत एफआइआर नम्बर 130/2022 दर्ज की गई है।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 की धारा 11 :–

"Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him."

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी वाहन मालिक की ओर से सिवाय इसके कि जप्त वाहन खुले में थाना परिसर में खड़ा हुआ है जिससे वाहन खराब हो जायेगा। पुलिस थाना खोह को वाहन की अब कोई आवश्यकता नहीं है, प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यो हेतु की आवश्यकता को देखते हुये जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिया जावे। परन्तु योग्य अभिभाषक वाहन मालिक ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे जप्त वाहन राजस्थान सीमा से वाहर हरियाणा राज्य की सीमा में गौवंश की तस्करी परिवहन में लिप्त नहीं होना माना जासके।

3 – राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के वाहर के किसी भी स्थान को विना सक्षम अधिकारी के परमिट/स्वीकृति के विना निर्यात प्रतिवन्धित किया हुआ है। इस सम्वन्ध में योग्य अभिभाषक अपीलान्ट से राजस्थान सीमा से वाहर गौवंश को परिवहन करने की स्वीकृति/परमिट के वारे पूछा गया तो योग्य अभिभाषक वाहन मालिक की ओर से गौवंश को राजस्थान सीमा से वाहर परिवहन करने की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति या परमिट हमारे समक्ष पेश नहीं की गई है, और नाहीं कोई स्वीकृति प्राप्त करना वताया।

उक्त **अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना** में अंकित है :–

".....जव कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंवधित है.....।"

.....5

जिला कलक्टर
करौली (राज.)

प्रार्थना पत्र आर.बी.ए.एक्ट की धारा 6ए पर मैरिट पर सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निषप्रभावी हो जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन आरजे 05 जीबी 7892 गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अधिनियम की धारा 6(ए) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये आरजे 05 जीबी 7892 द्वारा किये गये उक्त कृत्य के लिये वाहन आरजे 05 जीबी 7892 पर जुर्माना (Fine) राशि पॉच लाख रुपये (बीमा पालिसी का आधार पर) लगाया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। जप्त वाहन के मालिक को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर वाहन आरजे 05 जीबी 7892 पर जुर्माना (Fine) राशि पॉच लाख रुपये राशि राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। गुजर ने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना खौह जिला भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.9.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर